

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 08/2019

1 लक्ष्मीकान्त पुत्र बसन्तीलाल शर्मा निवासी ढाणी हीरानगर (हीराकावाली) तन नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 पूर्णमल पुत्र रामसहाय।

2 छीतरमल पुत्र रामसहाय।


3 महासिंह पुत्र रामसहाय समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ढाणी हीरा नगर (हीराकावाली) तन ग्राम नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी


उपस्थिति :

1. श्री शिवकुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट



-निर्णय-

*ASDL*  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील आ  
सीकर



दिनांक: 23-1-24

यह अवमानना प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 23.05.2016 की अवमानना में प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 63/2016 में दिनांक 23.05.2016, 01.07.2017 को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया गया था। अपीलांट ने आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया है कि दिनांक 12.04.2019 को स्थगन के उपरांत भी रेस्पोंडेंट ने स्थगन आदेश की अवमानना करते हुए टंकी का निर्माण किया है। इससे व्यथित होकर यह अवमानना प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 63/2016 में दिनांक 23.05.2016, 01.07.2017 को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया गया था। दिनांक 12.04.2019 को स्थगन के उपरांत भी रेस्पोंडेंट ने स्थगन आदेश की अवमानना करते हुए टंकी का निर्माण किया है। अतः अवमानना प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर रेस्पोंडेंट को दंडित किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने तर्क दिया कि पत्रावली पर स्थगन के उपरांत निर्माण कार्य का कोई साक्ष्य नहीं है। अवमानना प्रार्थना-पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर स्थगन से पूर्व की भौतिक स्थिति एवं अवमानना प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में अवमानना प्रार्थना-पत्र के तथ्य साक्ष्य से साबित नहीं है।

प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पटेल राजरव अपील अधिकारी  
सीकर



उपरोक्त विवेचन के आधार पर अवमानना प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24-1-27 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रत्न सुंकरिया)  
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन सजिस्व अधिकारप्राधिकारी,  
 सीकर